

## मध्यस्थ एवं संभागीय आयुक्त, जोधपुर

मध्यस्थ – बी0 एल0 कोठारी, आई.ए.एस.

आर्बीट्रेशन क्लेम प्रार्थना पत्र संख्या 02/2015

<u>प्रार्थी</u>	<u>बनाम</u>	<u>अप्रार्थीगण</u>
अहमद भाई पुत्र अली भाई निवासी- नाणा, तहसील- बाली जिला पाली।		1. सचिव, रेल मंत्रालय, भारत गणराज्य, दिल्ली। 2. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेलवे भवन, नई दिल्ली। 3. परियोजना निदेशक, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 5 वी मंजिल मेट्रो स्टेशन परिसर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। 4. परियोजना प्रबन्धक, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय, 42 ए/3 सिविल लाईन्स, अजमेर। 5. सक्षम अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बाली जिला पाली।

सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाली जिला, पाली द्वारा स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट  
के तहत भू अधिग्रहण के क्रम में ग्राम नाणा तहसील बाली हेतु जारी अभिनिर्णय  
क्रमांक 3962 दिनांक 22.11.2013 के विरुद्ध प्रार्थी की ओर से अपनी  
ग्रीवेन्स/आपत्तियां/क्षुब्धता एवं क्लेम अन्तर्गत धारा 20 च के खण्ड 6 रेल  
अधिनियम 1989 सपटित प्रावधान अन्तर्गत मध्यस्थ अधिनियम 1996 प्रस्तुत किया  
गया।

### उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से श्री राजेश परिहार, अधिवक्ता उपस्थित
2. अप्रार्थी संख्या एक ता चार से श्री विभौर गौड एवं राजेश तिवारी, अधिवक्ता  
उपस्थित
3. अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से श्री ओमप्रकाश चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित

### :: पंचाट निर्णय ::

दिनांक: जनवरी, 2020

1. प्रस्तुत आर्बीट्रेशन क्लेम प्रकरण में प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की ओर से  
निम्नानुसार कथन किया कि सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बाली) के द्वारा विशेष

रेल परियोजना वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के लिये भू-अधिग्रहण के क्रम में जारी अभिनिर्णय संख्या एफ.15 (5)(1) (नाणा राज.) भू अवाप्ति/2013 दिनांक 22.11.2013 के अनुसार ग्राम नाणा के क्रम संख्या 3 व 6 के संदर्भ में प्रार्थी ने यह क्षुब्धता व क्लेम प्रकरण पेश किया है।

2. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की ओर से यह भी कथन किया कि ग्राम नाणा के ख0सं0 99 व 102 में कुल 5.73 बीघा सींचित कृषि भूमि सड़क के किनारे लगती हुई आई हुई है एवं प्रार्थी उससे ही अपना जीवनयापन करता आ रहा है तथा उपजाऊ बनाने में कड़ी मेहनत की है। उक्त भूमि हेतु मुख्य प्रोजेक्ट मैनेजर, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रंट कॉरिडोर अजमेर द्वारा रेलवे संशोधन अधिनियम, 2008 दिनांक 15.5.2012 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति नियम धारा 20 ई.(4) की अधिसूचना का भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाई। तत्पश्चात केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम (1989 का 24) संशोधित अधिनियम 2008 की धारा 20 च की उपधारा 5 के तहत विशेष रेल परियोजना के लिये अर्जन की जाने वाली भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों को दावा आमंत्रित करने हेतु सूचना अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा प्रार्थी को जारी की गई व प्रार्थी से ख0सं0 92 व 102 में से कुल 0.2624 हैक्टर भूमि के अधिग्रहण बाबत दावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात सक्षम अधिकारी बाली के द्वारा अपना अभिनिर्णय अवार्ड जारी किया जिसमें प्रार्थी की भूमि के संदर्भ में क्षतिपूर्ति राशि निर्धारण कर अंकित करते हुए मुआवजा राशि का गलत रूप से निर्धारण करते हुए मात्र 1,24,318/- रुपये के अवार्ड प्रार्थीगण द्वारा विस्तृत रूप से अपना दावा दिनांक 8.7.2013 को सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश किया गया, परन्तु प्रार्थी के दावे को दरकिनार करते हुए मनमाने तरिके से बहुत ही कम मात्रा में प्रतिकर का निर्धारण कर दिया गया है जो गलत व विधि विपरित होने से उपान्तरित करने योग्य है।

3. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की ओर से यह भी कथन किया कि प्रार्थी के उक्त खसरांन की भूमि में से पूर्व में भी वर्ष 2010 में 0.5392 हैक्टर भूमि का अधिग्रहण किया गया था तथा शेष बची भूमि में से वर्तमान में अधिग्रहण करने से प्रार्थी बेरोजगार होने की स्थिति में आ गया है। इस बात को सक्षम अधिकारी ने नजरअंदाज करते हुए अवार्ड पारित किया गया है जो उपान्तरित करने योग्य है। इसके अतिरिक्त अवार्ड अधीन भूमि में तत्समय में ग्वार की फसल बो रखी थी जिसकी कीमत के हिसाब से कुल 45,920 रुपये दावे में मांगे गये थे परन्तु अप्रार्थी संख्या 5 सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त राशि देने से मना कर दिया और मौके पर स्थित फसल ले जाने के लिये पर्याप्त समय उपलब्ध होना दर्शा

दिया। इसके पश्चात भूमि का कब्जा लेते वक्त अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त खेती को नष्ट कर दिया गया जिसे उसे फसली नुकसान हुआ इसका भी प्रार्थी मुआवजे पाने का हकदार है।

4. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की ओर से यह भी कथन किया कि उक्त भूमि खसरा संख्या 102 में प्रार्थी ने दो ट्यूबवेल भी खुदवा रखे थे जिसकी अनुमानित कीमत 3,00,000 रुपये थी उसे भी भूमि अधिग्रहण के कारण नष्ट करवा दिया गया और सक्षम अधिकारी द्वारा मात्र एक शब्द में इस आपत्ति को खारिज कर दिया और उसका भी किसी प्रकार से मुआवजा देने से इंकार कर दिया कि ट्यूबवेल का स्थल अवाप्ति में सम्मिलित नहीं है।। इस हेतु मौका स्थल देखने के उपरान्त अवार्ड राशि निर्धारित करनी चाहिये थी। प्रार्थी मुआवजा पाने का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि में बबूल के पेड होने तथा उनके नुकसानी के पेटे 6 हजार रुपये मुआवजा राशि चाही गई थी जो नहीं दी गई।

5. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की ओर से यह भी कथन किया कि सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के अनुसरण में ग्राम नाणा के विगत 03 वर्ष की अवधि में उप पंजीयक कार्यालय के सभी विक्रय विलेखों का अवलोकन किया जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि की कीमत अनुसार मूल्यांकन नहीं कर प्रार्थी की भूमि की कम राशि आंकी गई। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक निर्णयों में यह व्यवस्था दी है कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में आस-पास व उस स्थान के पूर्व विक्रय विलेखों को ध्यान में रखते हुए भूमि का उचित मुआवजा तय करना चाहिये। न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। यथा :2004 (1) 720, 2004 2 एससीसी, 2012 5 एससीसी 432, 2009 (14) एससीसी 758, 2009 (3) एससी

6. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की ओर से यह भी कथन किया कि प्रार्थी ने अपने क्लेम आवेदन में राष्ट्रीय पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास नीति 2007 के बिन्दू संख्या 7.14 व 7.15 के अनुसार प्रार्थी सीमान्त किसान की श्रेणी में आने के कारण 750 दिवस की न्यूनतम राशि मजदूरी 135 के अनुसार 1,10,250 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है तथा बिन्दू संख्या 7.16 के अनुसार मन्थली अलाउन्स भी पाने का अधिकारी है। भूमि का कब्जा लेने के बाद प्रार्थी को बची हुई भूमि की सुरक्षा हेतु नये धोरों, बाड, माठ, तारबन्दी व सुरक्षा हेतु नये रूप से खर्चा करने के बदल 2 लाख रुपये की मुआवजा मांग की गई थी। तथा अधिग्रहण के कारण बेरोजगार हो जाने के कारण स्थाई नौकरी हेतु भी मांग

की गई। इसके अतिरिक्त भूमि का कब्जा लेने के समय अन्य स्थावर सम्पत्ति के उपार्जन की हानि के प्रभाव की क्षति हेतु भी क्लेम राशि मांगी गई। प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि बाजार मूल्य के अतिरिक्त 60 प्रतिशत राशि सोल्यूशयम राशि 98,400/ रूपये की भी मांग की गई। परन्तु सक्षम प्राधिकारी ने इस सम्बन्ध में कोई अवार्ड प्राथी के पक्ष में पारित नहीं किया है। अतः आक्षेपित अभिनिर्णय उपान्तरित करने योग्य है।

7. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की ओर से यह भी कथन किया कि अप्रार्थीगण के द्वारा मनमानीपूर्वक फरवरी, 2014 में प्रार्थी के ट्यूबवेल तोड़े गए जिससे खड़ी फसल खसरा संख्या 102 व व 99 की पूरी तरह से बर्बाद हो गई वक्त खसरा संख्या 102 के 2.70 हैक्टर लगभग 17 बीघा भूमि में जौ की फलस खड़ी थी साथ ही ख0सं0 99 के 2.40 हैक्टर लगभग 15 बीघा में गेहू की फसल खड़ी थी। प्रार्थी को बहुत अधिक नुकसान नुकसान के पेटे उनके द्वारा 7,87,500/- रूपये की राशि प्राप्त करने का हकदार है। खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपि अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अन्त में प्रार्थी का यह निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त अवाप्ति कार्यवाही के कारण हुई कठिनाई के परिणामस्वरूप तथा फसल व ट्यूबवेल के तोड़े जाने से हुए नुकसान के बदले भरपाई राशि दिलाये जाने द्वारा रेलवे (संशोधित नियम 2008) के अनुसार ब्याज हेतु भी अपने क्लेम मुआवजा राशि प्राप्त करने का, राष्ट्रीय पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास नीति 2007 के तहत स्थाई नौकरी पाने का हकदार होने से उसके द्वारा प्रस्तुत यह आपत्ति क्लेम प्रकरण स्वीकार किया जावे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अभिनिर्णय को उपान्तरित करते हुए नियमानुसार प्रार्थी को 23,98,570/- रूपये सहित 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भू अधिग्रहण की तारीख से मुआवजा अदा करावें।

8. प्रत्युतर में अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी की ओर से उठाई गई आपत्तियों का खण्डन करते हुए सर्वप्रथम यह कथन किया कि मौजूदा प्रकरण विशेष रेलवे प्रोजेक्ट हेतु भूमि अवाप्ति से सम्बन्धित है। जिसकी धारा 20 एन में भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 लागू नहीं होना दर्शाया गया है। इस विशिष्ट अधिनियम की धारा 20 जी में बाजार दर की गणना हेतु विशिष्ट मानक दर व सूत्र प्रावधित है। जिनकी यथोचित पालना वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले अवार्ड निर्णय से पूर्व सम्पादित की गई है। इस प्रकार उक्त अवाप्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया इन अधिनियमों के तहत नियमानुसार पूर्ण की गई है।

9. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त भूमि के अवाप्ति के समय न तो कोई ट्यूबवेल था और न ही उसकी फसलों को नष्ट किया गया था। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये वादग्रस्त भूमि के फोटो ग्राफ भी वास्तविक स्थिति से किसी प्रकार से मेल नहीं खाते हैं। क्योंकि मौके पर राजकीय पक्ष की ओर से कब्जा लेते समय कोई फसल खड़ी नहीं थी और न ही तत्समय कोई ट्यूबवेल स्थित था। प्रार्थी को उक्त भूमि को मुआवजे के अतिरिक्त सोलुश्यम राशि 60 प्रतिशत दी गई एवं सहायता राशि भी दी गई है।

9. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की अवाप्ति किये जाने से पूर्व ग्राम नाणा के उक्त खसरान भूमि की कीमत आंके जाने हेतु तहसील क्षेत्र के उप पंजीयक कार्यालय से गत 03 वर्षों की औसत दर व डीएलसी राशि की दरों पर विचारण करते हुए डीएलसी दर अधिक होने के कारण मान्य की गई है। इस प्रकार प्रार्थी के द्वारा अवार्ड निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत यह क्लेम प्रकरण अस्वीकार किये जाने योग्य है एवं उनकी आपत्ति खारिज किये जाने योग्य होने से अस्वीकार की जावे एवं पारित अवार्ड निर्णय दिनांक 22.11.2013 को यथावत रखा जावे।

10. हमने दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित अभिभाषकों की बहस सुनी। तथा अधिनस्थ कार्यालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों, निर्णय नजीरों का समग्रता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मौजूदा प्रकरण विशेष रेलवे प्रोजेक्ट हेतु भूमि अवाप्ति से सम्बन्धित है। जिसकी धारा 20 एन में भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 लागू नहीं होना दर्शाया गया है। इस विशिष्ट अधिनियम की धारा 20 जी में बाजार दर की गणना हेतु विशिष्ट मानक दर व सूत्र प्रावधित है जो कि इस प्रकार से है:—

## **20 G Criterion for determination of market value of land. —**

(1) The competent authority shall adopt the following criteria in assessing and determining the market value of the land,—

(i) the minimum land value, if any, specified in the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) for the registration of sale deeds in the area, where the land is situated; or

(ii) the average of the sale price for similar type of land situated in the village or vicinity, ascertained from not less than fifty per cent. of the sale deeds registered during the preceding three years, where higher price has been paid; whichever is higher.

(2) Where the provisions of sub-section (1) are not applicable for the reason that:—

- (i) the land is situated in such area where the transactions in land are restricted by or under any other law for the time being in force in that area; or
- (ii) the registered sale deeds for similar land as mentioned in clause (i) of sub-section (1) are not available for the preceding three years; or
- (iii) the minimum land value has not been specified under the Indian Stamp Act, 1899 by the appropriate authority, the concerned State Government shall specify the floor price per unit area of the said land based on the average higher prices paid for similar type of land situated in the adjoining areas or vicinity, ascertained from not less than fifty per cent. of the sale deeds registered during the preceding three years where higher price has been paid, and the competent authority may calculate the value of the land accordingly.
- (3) The competent authority shall, before assessing and determining the market value of the land being acquired under this Act,—
- (a) ascertain the intended land use category of such land; and
- (b) take into account the value of the land of the intended category in the adjoining areas or vicinity, for the purpose of determination of the market value of the land being acquired.
- (4) In determining the market value of the building and other immovable property or assets attached to the land or building which are to be acquired, the competent authority may use the services of a competent engineer or any other specialist in the relevant field, as may be considered necessary by the competent authority.
- (5) The competent authority may, for the purpose of determining the value of trees and plants, use the services of experienced persons in the field of agriculture, forestry, horticulture, sericulture, or any other field, as may be considered necessary by him.
- (6) For the purpose of assessing the value of the standing crops damaged during the process of land acquisition proceedings, the competent authority may utilise the services of experienced persons in the field of agriculture as he considers necessary.

इसी प्रकार 20 एच भी इस प्रकार से है:—

### **20 H Deposit and payment of amount. —**

- (1) The amount determined under section 20F shall be deposited by the Central Government, in such manner as may be prescribed by that Government, with the competent authority before taking possession of the land.
- (2) As soon as may be after the amount has been deposited under sub-section (1), the competent authority shall on behalf of the Central Government pay the amount to the person or persons entitled thereto.
- (3) Where several persons claim to be interested in the amount deposited under sub-section (1), the competent authority shall determine the persons who in its opinion are entitled to receive the amount payable to each of them.

- (4) If any dispute arises as to the apportionment of the amount or any part thereof or to any person to whom the same or any part thereof is payable, the competent authority shall refer the dispute to the decision of the principal civil court of original jurisdiction within the limits of whose jurisdiction the land is situated.
- (5) Where the amount determined under section 20F by the arbitrator is in excess of the amount determined by the competent authority, the arbitrator may award interest at nine per cent. per annum on such excess amount from the date of taking possession under section 20-I till the date of actual deposit thereof.
- (6) Where the amount determined by the arbitrator is in excess of the amount determined by the competent authority, the excess amount together with interest, if any, awarded under sub-section (5) shall be deposited by the Central Government, in such manner as may be prescribed by that Government, with the competent authority and the provisions of sub-sections (2) to (4) shall apply to such deposit. ]

इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत है कि ग्राम नाणा के ख0सं0 102 व 99 में आई हुई प्रार्थी की प्रश्नगत अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा विधि अनुसार निर्धारित किया गया है एवं मुआवजा प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले प्रार्थी की आपत्तियों का भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बाली) के द्वारा अवार्ड निर्णय पारित करने से पूर्व निस्तारित किया तथा उसका विस्तृत उल्लेख अपने निर्णय में अंकित किया है।

11. प्रार्थी के द्वारा उक्त आपत्तियों को पुनः अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उठाया गया है जो उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड दस्तावेजों के अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हो सकती। क्योंकि प्रार्थी के द्वारा उनके सम्बन्ध में कोई समुचित आधार इस स्तर पर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वादग्रस्त भूमि के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध रिकार्ड पर भूमि के मौके की सर्वेक्षण रिपोर्ट मौजूद है जो कि राजस्व अधिकारीगण के द्वारा रेलवे विभाग की प्रतिनिधि एवं अन्य कार्मिकों के साथ मौका मुआयना करते हुए निर्मित की गई जिसके अवलोकन यह भी स्थिति स्पष्ट होती है कि अवाप्तशुदा आराजी के अधिग्रहण में न तो कोई ट्यूबवेल वहाँ स्थित रहा और न ही कोई फसल उपलब्ध होना प्रकट हैं।

12. प्रार्थी के अधिवक्ता अवार्ड निर्णय के सम्बन्ध में उठाई गई आपत्तियों को सिद्ध नहीं कर पाये हैं। जहाँ तक ग्राम नाणा के विक्रय विलेखों के सम्बन्ध में आपत्ति की है वो भी स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि रेलवे संशोधित अधिनियम 2008 की धारा 20 जी के तहत विशिष्ट रूप से बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु विगत तीन वर्षों के विक्रय विलेखों का औसत ज्ञात कर एवं डीएलसी दरों में से जो अधिक हो, वह राशि ही

मुआवजा गणना हेतु मानक मानी जाती है। अवार्ड निर्णय में प्रार्थी की भूमि की दी गई मुआवजा राशि बाबत विस्तृत गणना तथ्य मौजूद है।

13. प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अवार्ड निर्णय में अंकित मुआवजा राशि के अतिरिक्त मुआवजा बढ़ाये जाने हेतु निवेदन किया है, वह भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि वादग्रस्त भूमि में मौके पर तत्समय उपलब्ध साग्रगी का निर्धारण राजकीय विभाग के अधिकारियों द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार गणना करते हुए मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

14. सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अपने अभिनिर्णय में भी यह उल्लेख किया है कि फसल क्षति एवं ट्यूबवेल के लिये किये दावे असत्य है। मौके पर स्थित फसल ले जाने के लिये दावेदार के पास पर्याप्त समय उपलब्ध है और फसल की क्षति देय नहीं है। तथा वर्णित ट्यूबवेल का स्थल अवाप्ति प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 20 जी की उपधारा 6 के अनुसरण में अवाप्त क्षेत्र में कोई खड़ी फसल नहीं है। अतः प्रतिकर राशि शून्य है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास नीति 2007 के अन्य प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति राशि गणना योग्य कोई प्रभावित व्यक्ति नहीं पाया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये वादग्रस्त भूमि के फोटो ग्राफ भी वास्तविक स्थिति से किसी प्रकार से मेल नहीं खाते हैं। मौके पर तत्समय राजकीय पक्ष की ओर से कब्जा लेते समय कोई फसल खड़ी थी अथवा नहीं और कोई ट्यूबवेल स्थित था अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में भी प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे उक्त कथनों की पुष्टि होती हो। प्रार्थी को उक्त भूमि के मुआवजे के अतिरिक्त 60 प्रतिशत सोलुश्यम राशि दी गई एवं अन्य सहायता राशि भी दी गई है।

15. प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत किये गये हैं वो प्रकरण में लागू नहीं हो सकते हैं, उक्त न्यायिक दृष्टांतों में मात्र सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं, कोई विशिष्ट मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। इसके अलावा उक्त सभी न्यायिक दृष्टांत केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 से सम्बन्धित है क्योंकि उक्त अधिनियम सामान्य विधि का है जबकि मौजूदा प्रकरण विशेष रेलवे प्रोजेक्ट हेतु भूमि अवाप्ति से सम्बन्धित है। जिसकी धारा 20 एन में भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 लागू नहीं होना दर्शाया गया है (**Nothing in the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) shall apply to an acquisition under this Act.**) इसके अतिरिक्त उक्त विशिष्ट अधिनियम की धारा 20 जी में बाजार दर की गणना हेतु विशिष्ट मानक दर व

सूत्र प्रावधित है। जिनकी यथोचित पालना भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बाली) ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले अवार्ड निर्णय से पूर्व सम्पादित की गई है।

16. अतः उपरोक्त विवेचना व विवाद बिन्दुओं के निर्धारण के पश्चात इस आशय का पंचाट निर्णय पारित किया जाता है कि प्रार्थी/आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत क्लेम/आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बाली) के द्वारा पारित अभिनिर्णय (अवार्ड) एफ.15 (5)(1) (नाणा राज.) भू अवाप्ति/2013 दिनांक 22.11.2013 को यथावत रखा जाता है। पंचाट निर्णय आज दिनांक 06 जनवरी, 2020 सरे इजलाज सुनाया गया।

(बी0 एल0 कोठारी)  
मध्यस्थ एवं संभागीय आयुक्त,  
जोधपुर